प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2025

विषयः- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रावराजा पुत्र श्री जरदान सिंह, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023), दिनांक 16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रावराजा पुत्र श्री जरदान सिंह, ग्राम लकारा, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झॉसी का निवासी है। पुराने मकुदमें की रंजिश के कारण दिनांक 01.11.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व कट्टे से मारकर अजय वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-41/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, ए0डी0जे0-1, झांसी के आदेश दिनांक 20.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.09.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 16 वर्ष 01 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 05 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 27.09.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा बन्दी की शारीरिक दशा, आयु एवं बंदी के 75 प्रतिशत विकलांगता को देखते हुए बन्दी को यदि छोड़ दिया जाता है तो विपक्षियों द्वारा बंदी के ऊपर अपराध घटित हो सकता है। वर्तमान में दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त है तथा भविष्य में बन्दी के साथ घटना घटित न हो इसलिए समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, 75 प्रतिशत विकलांग होने, समयपूर्व मुक्त होने से समाज में गलत संदेश जाने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुराने मुकदमें की रंजिश के कारण दिनांक 01.11.2006 को बंदी द्वारा अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व कट्टे से मारकर अजय वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रावराजा पुत्र जरदान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रावराजा (बंदी संख्या-181/22) पुत्र श्री जरदान सिंह, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-694/2025/2658(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-694/2025/2658/22-2-2023-17(105)/2015

दिनांक 30 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रावराजा पुत्र श्री जरदान सिंह, ग्राम लकारा, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झॉसी का निवासी है। पुराने मकुदमें की रंजिश के कारण दिनांक 01.11.2006 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व कट्टे से मारकर अजय वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-41/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, ए0डी0जे0-1, झांसी के आदेश दिनांक 20.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.09.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 16 वर्ष 01 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 05 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 27.09.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा बन्दी की शारीरिक दशा, आयु एवं बंदी के 75 प्रतिशत विकलांगता को देखते हुए बन्दी को यदि छोड़ दिया जाता है तो विपक्षियों द्वारा बंदी के ऊपर अपराध घटित हो सकता है। वर्तमान में दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त है तथा भविष्य में बन्दी के साथ घटना घटित न हो इसलिए समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, 75 प्रतिशत विकलांग होने, समयपूर्व मुक्त होने से समाज में गलत संदेश जाने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुराने मुकदमें की रंजिश के कारण दिनांक 01.11.2006 को बंदी द्वारा अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व कट्टे से मारकर अजय वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रावराजा पुत्र जरदान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in